

2025/373  
रोवारी

213/2025  
प्रशासन भाग के लिए अधिसूचना-2021

श्रीमान उपरखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपरखण्ड नावा जिला डी.डी.  
विषय- राजस्व रिकॉर्ड तुरन्त प्रेषित राजस्थान न्यू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के  
द्वारा पटवारी पटवार हल्का ठिठिया क्लो  
महोदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में लक्ष्य है जिसका निरक्षण निम्नानुसार है

भूमि का विवरण	जमाबंदी में परिवर्तन (अशुद्ध परिवर्तन को अ-ररलाईन करें)	जो जमाबंदी में गलत परिवर्तन का विवरण
पटवार हल्का ठिठिया क्लो राजस्व ग्राम बालवा, विजयनगर खता संख्या 108, 116, 22 विजयनगर खता-12 दारा संख्या 379/32, 40/60, 12, 26 संख्या हिवतियर में 27 - 123	(1) जवाहराम पुत्र जेवाराण जाति जाट	(1) खवाइ सिंह पुत्र जेवाराण जाति जाट

- संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -
1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नवशा
  2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नवशा
  3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
  4. हिरसे संबंधी अशुद्धि होने पर राजमें आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार राजरा / वंशावली
  5. प्राथी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।
- कुल संलग्नक संख्या: -

खवाइ सिंह  
हरताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मू. स्पष्ट अनुशासा (सामोटेड दस्तावेजों की जांच उपरांत) :-  
उक्तों का नाम आवश्यक दस्तावेजों प्रमा चोर्ट फार्म, फाद्य, लाइसेंस, मूल्यांकन के आधार पर जमाबंदी में  
खवाइ सिंह के स्थान पर खवाइ सिंह लिखा जाना उचित है।

भू.अ.निरीक्षक  
गुणवत्ता पर डेवली क्लो  
तहसीलदार की टिप्पणी :-

24-6-25  
पटवारी: भू.अ. ठाकरया कला  
नर नाथ  
25/6/25  
हरताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपरखण्ड अधिकारी नावा जिला डी.डी.  
क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ दिनांक-

आदेश  
प्राथी खवाइ सिंह निम्नसी बालवा के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू.  
अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नवा की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड  
में हुई अशुद्धि को राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के  
सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दर्जनाद कर पालना में अद्योहरताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उपरखण्ड अधिकारी  
25/06/25  
उपरखण्ड अधिकारी  
नावा (डी.डी.वना-कुचामन)

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2025/pdy 09  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
1. तहसीलदार नावा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।  
2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
3. प्राथी / आवेदक को सूचनार्थ।

दिनांक:-  
25/06/25  
उपरखण्ड अधिकारी  
नावा (डी.डी.वना-कुचामन)